5 COURT FEE 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT FEE 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 COURT FEE 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

55

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक /2007 R·1995-I/07

1. मुस. रामकली विधवा पत्नी स्व. ललई साहू,
2. रामप्यारे तनय स्व. ललई साहू
3. रामकिशुन स्व. ललई साहू
4. मु. सुगनी विधवा पत्नी स्व. मंधारी साहू,
5. मनराखन तनय स्व. मंधारी साहू
6. सेतलाल तनय स्व. मंधारी साहू
7. रामजी तनय स्व. मंधारी साहू
8. जागेश्वर तनय स्व. देवान साहू
9. लालमणि तनय स्व. देवान साहू
10. मुस. सुकवरिया विधवा पत्नी रंगलाल साहू
11. बाबराम तनय रंगलाल साहू
12. भैयाराम तनय रंगलाल साहू
13. रामा तनय रंगलाल साहू
14. चन्द्र कुमारी पुत्री रंगलाल साहू,

सभी निवासीगण–ग्राम बिलौजी, तेलियान, तहसील–सिंगरौली, जिला–सीधी (म.प्र.)

——— आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 29-12-07 को प्रस्तुत

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

1. राजनाथ तनय स्व. श्री हरीलाल साहू
2. हिरऊ तनय स्व. तिलक साहू
3. गुलझारी पत्नी स्व. मटुकलाल साहू,
4. राधेश्याम पुत्र स्व. मटुकलाल साहू,
5. राजेन्द्र पुत्र स्व. मटुकलाल साहू,
6. रामभजन पुत्र स्व. मटुकलाल साहू,
7. जुगुन्ती पुत्री स्व. मटुकलाल साहू,
8. अनीता पुत्री स्व. मटुकलाल साहू,
9. लोली पुत्री स्व. मटुकलाल साहू,

सभी निवासीगण–ग्राम बिलौजी, तेलियान, तहसील–सिंगरौली, जिला–सीधी (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

29-12-07

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक–506/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 10/10/07 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन हैं :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विभाजन नियमों के नियम 4 की अवेहलना होने से उसे स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा वैधानिक त्रुटि की गयी है।

3. यह कि, विभाजन फर्दो पर आवेदकगण के हस्ताक्षर नही लिये गये, ऐसी फर्दो पर पारित आदेश अवैध है, जिसे स्थित नही रखा जा सकता था।

4. यह कि, विभाजन नियमों के नियम 6 के अधीन विभाजन फर्दो का प्रकाशन किये बिना तथा उन पर आपत्तियों के लिये 30 दिन का समय प्रदान किये बिना पारित विभाजन आदेश नितांत अवैध व अनुचित है, जिसे स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों ने वैधानिक त्रुटि की है।

5. यह कि, द्वितीय अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष की आवेदकगण ने उनकी आपत्ति निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध कोई निगरानी नही की है। यह निष्कर्ष अवैध व अनुचित है। तहसील न्यायालय द्वारा विभाजन आदेश में ही आपत्ति खारिज की गयी है। जिसकी विरूद्ध आवेदकगण द्वारा विधिवत् प्रथम अपील की गयी थी।

6. यह कि, तहसील न्यायालय द्वारा पारित विभाजन आदेश में सह स्वामियों के 1/3–1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन आदेश पारित नही किया गया। हिरऊ द्वारा अपने हिस्से की भूमि शिक्षा समिति को दान में दी गयी थी, जिसे उसके हिस्से में से कम नही किया गया।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1995–एक/07 जिला –सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
06–11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 506/2002–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 17.1.97 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक के द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विवादित आराजियों का बटवारा किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां पर तहसीलदार के द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जहां पर अपील को निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 10.10.07 को निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज	

कर उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आदेशित किया गया। जहां पर उभयपक्ष उपस्थित हुये तथा तहसीलदार ने संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित किया है। जहां तक आवेदक का यह तर्क है कि समान अंशें का बटवारा नहीं किया गया है, तहसीलदार ने प्रस्तुत आपत्ति का विधिसंगत तरीके से निराकरण किया है और इस आदेश को आवेदन के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, यदि वह इस आदेश से व्यथित था तो उसे सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अपर आयुक्त रीवा द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती आदेश हैं, उनके स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं"।**

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 506/2002–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 10.10.07 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य